प्रेस-विज्ञप्ति

जनपद भदोही-थाना सुरियावां

दिनांक- 05 मार्च 2026

"सड़क पर शांति और कानून का राज कायम रखने के लिए, पुलिस का साहसी/सराहनीय कार्य के क्रम में थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 02.03.2026 को हुए पुलिस मुठभेड़ में शामिल फरार गोवध निवारण अधिनियम में वांछित ₹10,000/- का इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 02.03.2026 को थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत थाना सुरियावां पुलिस टीम द्वारा *पुलिस मुठभेड़* में गौ तस्कर विजय गौतम उर्फ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरीपरवा थाना सुरियावां जनपद भदोही को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कब्जे से गौ मांस, एक अदद चापड़, एक अदद सेन्ट्रो कार, एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया था। पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम/फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0- 57/2026 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुरियावां जनपद भदोही अभियोग पंजीकृत कर घटना में शामिल फरार एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी , पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा *श्री शुभम अग्रवाल* , अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग व वांछित अपराधियों की तलाश में मुस्तैद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सटीक सूचना मिली कि गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित वांछित और ₹10,000 का इनामी अपराधी अवशाद उर्फ नौशाद, कुद्दुपुर की तरफ से सुरियावां होते हुए भदोही की तरफ भागने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने कुढ़वा नहर पुलिया के पास घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम को देखकर सकपका कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता:-

अवशाद उर्फ नौशाद पुत्र लुकमान उर्फ लुकमान, निवासी ग्राम कहरा, थाना उतरॉव, जनपद प्रयागराज उम्र: लगभग 38 वर्ष।

बरामदगी:-

अभियुक्त के पास से एक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसके संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 425/2020 धारा 3, 5, 8 (उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955) — थाना का नाम: सरायममरेज़

2.मु0अ0सं0 74/2022 धारा 3, 5, 8 (गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश) – थाना का नाम: उतरांव

3.मु0अ0सं0 219/2022 धारा 3(1) (उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986) — थाना का नाम: उतरांव

4.मु0अ0सं0 368/2022 धारा 3/5A/8 (गो हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश) व धारा 307 (भा.दं.सं. 1860) — थाना का नाम: फूलपुर

5.मु0अ0सं0 369/2022 धारा 25, 4 (आयुध अधिनियम, 1959) — थाना का नाम: फूलपुर

6.मु0अ0सं0 238/2019 धारा 3, 5, 8 (उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955) — थाना का नाम: उतरांव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार,हे0का0 नन्दलाल गौड,का0 सिद्ध प्रताप सिंह,का0 सुन्दरम द्विवेदी, चालक चेतन दास सरोज थाना सुरियावां जनपद भदोही।